

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून -248001
दूरभाष:0135-2650809
फैक्स.0135-2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in



सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं० 8बी/यू.सी.पी./06/140/2016/एफ.सी./84

दिनांक: 28/04/2023

सेवा में,

- ✓ अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- जनपद - अल्मोड़ा में खूँट काकडीघाट मोटर मार्ग से ठाठ ग्राम तक लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.983 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में। (Online Proposal no. FP/UK/ROAD/15503/2015)

सन्दर्भ:- कार्यालय- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक – 2283/FP/UK/ROAD/15503/2015 दिनांक 01.04.2023

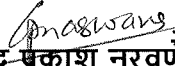
महोदय,

उपर्युक्त प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 28.09.2021 का उत्तर राज्य सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत किया है जिसके अवलोकन उपरान्त प्रस्ताव में कुछ त्रुटियाँ पाई हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि निम्नांकित बिन्दु पर अभिलेख/दस्तावेज़ इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें:-

- 1) The State Govt is requested to show the alternate alignment in the KML file.
- 2) The details of the compensatory afforestation plantation scheme such as area details, maps and KML file are required to be provided.
- 3) The tree enumeration has now been provided for 7m width i.e. 88 trees but the same has not been corrected on the online portal at Part II. The State Government is requested to do the needful.
- 4) It is observed that the road is proposed to connect to a temple only. There is no need to build a 7m wide road for this purpose. In fact, a road is visible through village 'Saran' which could be used for this purpose. The proposal for building a new road is not justified. State Government is requested to submit the detailed justification in this regard.

उपरोक्त त्रुटियों की पूर्तता के उपरांत ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी एवं यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,


(गजेन्द्र प्रकाश नरवणे)
सहायक महानिरीक्षक (वन)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. अपर मुख्य सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

/
(गजेन्द्र प्रकाश नरवणे)
सहायक महानिरीक्षक (वन)